बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0–3/अ0प्र0–1–362/08 1331 /पटना, दिनांक 14.9.21

श्री अशोक प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–2 के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, सासाराम–2 अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई के तहत पैकेज सं0 BR-28-03 PWD पथ से बरैया भाया कमल खैरा पथ की निगरानी प्रमंड़ल–1, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में पथ में Premixing Carpet का कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये जाने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 11249 दिनांक 01.05.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 13.09.2011 की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से करायी गई। समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि उक्त पथ की जॉच पथ निर्माण के चार वर्ष बाद दिनांक 30.04.2011 को की गई थी। जॉच में पाई गई त्रृटि पथ में अनुरक्षण के अभाव को दर्शाता है, परन्तु पथ का एकरारनामा वर्ष 2002 में हुआ था एवं तत्समय एकरारनामा में पंचवर्षीय अनुरक्षण का प्रावधान नहीं था।

3. तत्पश्चात मामले की पुर्नसमीक्षा नोडल पदाधिकारी पी0एम0जी0एस0वाई से कराई गई। नोडल पदाधिकारी पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा अपने समीक्षा में अंकित किया गया कि वर्ष 2000–01 एवं वर्ष 2001–02 में स्वीकृत पथों के प्राक्कलन में अलग से पंचवर्षीय रख–रखाव/अनुरक्षण कार्य का प्रावधान नहीं था। परन्तु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित पथों की गुणवत्ता अत्याधिक उच्च कोटि के होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें पथ निर्माण के बाद कम से कम पॉच वर्षों तक कोई बड़ी मरम्मति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

4. इस बीच श्री अशोक प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता दिनांक 30.06.2019 को सेवानिवृत हो गये तथा मामले का आरोप वर्ष 2007–08 है। अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में पथ के निरीक्षण में कालीकरण की कम मुटाई, सील कोट कार्य नहीं किये जाने एवं अनेक जगहों पर कालीकरण कार्य उखड़ा हुआ पाये जाने संबंधी आरोपों पर विभागीय पत्रांक 3605 दिनांक 10.12.2019 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कारण पृच्छा की गई।

5. श्री सिंह द्वारा दिनांक 30.12.2019 को समर्पित बचाव बयान पर मुख्य अभियंता–1 एवं तत्पश्चात अभियंता प्रमुख का मंतव्य प्राप्त किया गया। अभियंता प्रमुख द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि पंचवर्षीय अनुरक्षण में Carpeting टूटने का अनुमानित प्रतिशत पर प्राक्कलन बनाया जाता है। पंचवर्षीय अनुरक्षण का प्रावधान नहीं रहने पर उक्त प्रतिशत संचयात्मक रूप से बढ़ने की संभावना रहती है। आलोच्य पथ के निरीक्षण में कालीकरण की मुटाई 15 mm (av) दिखाया गया है। जिसका चैनेज दर्ज नहीं है। 4 वर्षो बाद किसी–किसी चैनेज पर मुटाई कम होना स्वाभाविक माना जा सकता है (खासकर Patch के आसपास)। समीक्षा में यह पाया गया कि विषयांकित पथ में किसी प्रकार की वित्तीय क्षति परिलक्षित नहीं होती है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री सिंह से प्राप्त बचाव बयान को स्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतः श्री अशोक प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13.9.21
(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

0

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–362/08 1332 /पटना, दिनांकः– 14.9.21

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–362/08 1332 /पटना, दिनांकः– 14.9.21

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–362/08 1332 /पटना, दिनांकः– 14.9.21

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम–2/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री अशोक प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता–नोभा नगर, फेज–2, फुलवारीशरीफ, पटना–801505 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–362/08 1332 /पटना, दिनांकः– 14.9.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव